

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जनवरी 2013—पौष 13, शक 1934

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. एफ-11-2-2008-चौवन-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2011 के तहत 12 सदस्यीय मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का गठन किया गया है. हज अधिनियम, 2002 की धारा 25 (1) (iii) में निहित प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर (क्रमांक 16021, दिनांक 27-01-2012) श्री अशफाक मुरशदी द्वारा हज कमेटी के कार्यों में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेने एवं बैठकों में भी शामिल नहीं होने के आधार पर श्री अशफाक मुरशदी को मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी की सदस्यता से पृथक किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.